



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019/भाद्र 22, 1941

No. 525]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 647(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, स्वशासी बोर्ड (चौथे सदस्य को नियुक्त करने की रीति और अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन एवं शर्तें तथा आस्तियों की घोषणा, वृत्तिक और वाणिज्यिक कार्यव्यस्तता) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ.**— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) अभिप्रेत है;

(ख) “आयोग” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अभिप्रेत है;

(ग) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. **स्वशासी बोर्ड के चौथे सदस्य के नियुक्ति की रीति.**— (1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड के चौथे सदस्य की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, जो भी पहले हो, पद धारण नहीं करेगा।

(2) धारा 17 के उपधारा (5) के अधीन नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक स्वशासी बोर्ड का चौथा सदस्य, जो अंश कालिक सदस्य है, राज्य चिकित्सा परिषदों के निर्वाचित सदस्यों में से लाटों के ड्रॉ द्वारा चुना जाएगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट राज्य चिकित्सा परिषदों के निर्वाचित सदस्य भी धारा 11 की उप धारा (2) के खंड (ड) के अधीन नियुक्त आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् के सदस्य होंगे:

परंतु अधिकतम राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयोजन से,-

- (i) आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् के सदस्य जो धारा 4 की उप धारा (4) के खंड (ग) के अधीन आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हैं; और
- (ii) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशिनी जो धारा 4 की उप धारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्यों के द्वारा आयोग में पहले ही प्रतिनिधित्व किए हैं,

इस नियम के अधीन लाटों के ड्रॉ के लिए विचारणीय नहीं होंगे।

(4) लाटों के ड्रॉ का संचालन ऐसी तारीख को किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाये।

(5) लाटों का ड्रॉ उप नियम (3) में निर्दिष्ट राज्य चिकित्सा परिषद के निर्वाचित सदस्यों के व्यक्ति नामों का उल्लेख करने वाले एक समान आकार, रंग और डिजाइन के पेपर पर्चियों से संचालित किया जाएगा, जो ऐसी रीति से मुड़ी हुई होंगी जिससे कि उनकी गोपनीयता को परिरक्षित रखा जा सके।

(6) उप नियम (3) में निर्दिष्ट राज्य चिकित्सा परिषदों के निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक स्वशासी बोर्ड के चौथे सदस्य को चुनने के लिए लाटों का ड्रॉ क्रमवर्ती रूप से निम्नलिखित रीति से संचालित किया जाएगा, अर्थात्: -

- (क) पहले, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड के लिए;
- (ख) दूसरे, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड के लिए;
- (ग) तीसरे, चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड के लिए; और
- (घ) चौथे, शिष्टाचार और चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के लिए।

(7) पेपर पर्चियों की कुल संख्या उप नियम (3) में निर्दिष्ट राज्य चिकित्सा परिषदों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के तत्समानी होगी।

(8) उप नियम (6) में यथावर्णित लाटों के ड्रॉ के दौरान, प्रत्येक लाटों के ड्रॉ के दौरान एक पेपर पर्ची उठाई जाएगी जिससे उसमें निर्दिष्ट प्रत्येक स्वशासी बोर्ड के चौथे सदस्य को चुना जा सके।

(9) लाटों का ड्रॉ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की उपस्थिति में संचालित किया जाएगा।

(10) लाटों के ड्रॉ की सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और लाटों के ड्रॉ से संबन्धित सभी अभिलेखों को जनता की पहुँच के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

की वेबसाइट पर छह मास की अवधि के लिए रखा जाएगा।

(11) लाटों के ड्रॉ की प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजनों हेतु मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया जाएगा।

(12) जहां इस नियम के अधीन लाटों के ड्रॉ द्वारा चुने गए किसी स्वशासी बोर्ड के चौथे सदस्य की पदावधि किसी कारणवश कम करके दो वर्ष से कम रह जाती है, वहाँ केंद्रीय सरकार उस राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा नामनिर्देशन के आधार पर शेष अवधि के लिए उसी राज्य चिकित्सा परिषद के अन्य नामनिर्देशिनी की नियुक्त करेगी।

(13) राज्य चिकित्सा परिषदों के निर्वाचित सदस्यों में से सभी चार स्वशासी बोर्ड के चौथे सदस्य को चुनने के लिए लाटों का ड्रॉ प्रत्येक निरंतर दो वर्ष में संचालित किया जाएगा।

4. स्वशासी बोर्ड के अंशकालिक सदस्यों सहित अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते.- (1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों का वेतन, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 (182200-224100 रुपए) में भारत सरकार के अपर सचिव के वेतन के समतुल्य होगा:

परंतु जहां किसी स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी अभिकरणों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं से सेवानिवृत्त है, वहाँ उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवांत फायदों का पेंशनिक मूल्य या दोनों के साथ संदेय वेतन अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि किसी स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवाओं में है तो उसके वेतन और भत्ते उसको लागू नियमों या उपनियम (1), जो भी अधिक हो, के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

5. महंगाई भत्ता.- प्रत्येक स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, केन्द्रीय सरकार में समतुल्य स्तर के अधिकारियों को उनके वेतन के मद्दे विनियोजित ग्राह्य दरों पर महंगाई भत्ते के लिए हकदार होगा।

6. यात्रा भत्ता.- (1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य प्रत्येक सदस्य केन्द्रीय सरकार में समतुल्य स्तर के अधिकारियों को उनके वेतन के मद्दे विनियोजित ग्राह्य दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) स्वशासी बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों से संबंधित अपने बिलों के संबंध में अपने स्वयं के ही नियंत्रण अधिकारी होंगे।

7. छुट्टी.- स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे-

(क) समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सेवकों को यथा ग्राह्य अर्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी; और

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन अस्थायी केन्द्रीय सरकार के सेवकों को यथा ग्राह्य असाधारण छुट्टी।

8. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी.- (1) आयोग का अध्यक्ष स्वशासी बोर्ड के अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(2) संबंधित स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष, उस बोर्ड के अन्य प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य की छुट्टी मंजूर करने के लिए प्राधिकारी होगा।

9. अभिदायी भविष्य निधि.-(1) स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा वहां शासित होगा, जहां सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन प्रतिश्रुत करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

(2) स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य उनके द्वारा स्वशासी बोर्ड में दी गई सेवाओं के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान के हकदार नहीं होंगे।

10. बैठक फीस.- प्रत्येक स्वशासी बोर्ड का अंशकालिक सदस्य स्वशासी बोर्ड की प्रत्येक दिन की बैठक के लिए पांच हजार रुपए की बैठक फीस का हकदार होगा।

11. स्वशासी बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा आस्तियों की घोषणा, वृत्तिक और वाणिज्यिक परिनियोजन या अंतर्ग्रस्तता -
(1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के प्ररूप-क में आस्तियों और दायित्वों की विवरणी फाइल करेगा।

(2) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनी प्रथम नियुक्ति पर और पद का त्याग करने के समय पर उक्त अनुसूची के प्ररूप-ख में अपने वृत्तिक और वाणिज्यिक परिनियोजन या अंतर्ग्रस्तता की भी घोषणा करेगा।

अनुसूची

प्रपत्र क

[नियम 11 (1) देखें]

परिसम्पत्ति और दायित्व की घोषणा

क. अध्यक्ष / सदस्य / सचिव की परिसम्पत्तियां और दायित्व

1. नाम (ब्लॉक अक्षरों में)
2. पिता / पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्तमान पता

5. नियुक्ति / नामांकन की तिथि

I. अचल संपत्ति का विवरण

(1) राज्य, जिला, उप-संभाग और गांव का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।

(2) संपत्ति का विवरण

(क) मकान और भवन और उनका वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि और उनका वर्तमान मूल्य

(3) मालिक हैं अथवा लाभार्थी

(4) क्या संयुक्त रूप से है या अलग-अलग है। यदि संयुक्त रूप से है, तो उसमें दूसरे व्यक्ति का हिस्सा

(5) यदि सदस्य के नाम नहीं है, तो बनायें किसके नाम है और उसका सदस्य से क्या संबंध है।

(6) कैसे अर्जित किया

(खरीद से पट्टे पर, बंधक से, विरासत में, उपहार से अथवा अन्य विधि से अर्जन की तारीख और जिस व्यक्ति से अर्जित किया गया है उसका नाम)

(7) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

II. चल सम्पत्ति का विवरण

(1) संपत्ति का विवरण (जैसे कार / मोटरसाइकिल / आभूषण / बैंकों / शेयर बाजारों / कंपनियों / वित्तीय संस्थान / बीमा पॉलिसी आदि में निवेश)

(2) यथा-आवश्यक बनावट, मॉडल (वाहन के मामले में पंजीकरण संख्या)

(3) अर्जन की विधि

(खरीद / उपहार / बंधक पट्टा या अन्यथा)

(4) सम्पत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय की स्थिति में स्रोत या वित्त पोषण का स्रोत

(क) व्यक्तिगत बचत

(ख) अन्य स्रोत

(6) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

III. सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों / केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति सदस्य की देनदारियों का विवरण

(1) बैंकों / कंपनी / वित्तीय संस्थानों / केन्द्रीय / राज्य सरकारों से लिये गये ऋण का विवरण

(2) प्रत्येक मामले में लिये गये ऋण की राशि

(3) प्रत्येक मामले में लिये गये ऋण की अवधि

ख. पति या पत्नी द्वारा धारित चल और अचल सम्पत्तियों से संबंधित सूचना

1. नाम (ब्लॉक अक्षरों में)
2. पिता / पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्तमान पता

I. अचल संपत्ति का विवरण

(1) राज्य, जिला, उप-संभाग और गांव का नाम,

जिसमें संपत्ति स्थित है।

(2) संपत्ति का विवरण

(क) मकान और भवन और उनका वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि और उनका वर्तमान मूल्य

(3) मालिक हैं अथवा लाभार्थी

(4) क्या संयुक्त रूप से है या अलग-अलग है। यदि संयुक्त रूप से है, तो उसमें दूसरे व्यक्ति का हिस्सा

(5) यदि सदस्य के नाम नहीं है, तो बतायें किसके नाम है और उसका सदस्य से क्या संबंध है।

(6) कैसे अर्जित किया

(खरीद से पट्टे पर, बंधक से, विरासत में, उपहार से अथवा अन्य विधि से अर्जन की तारीख और जिस व्यक्ति से अर्जित किया गया है उसका नाम)

(7) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

II. चल सम्पत्ति का विवरण

(1) संपत्ति का विवरण (जैसे कार / मोटरसाइकिल / आभूषण / बैंकों / शेयर बाजारों / कंपनियों / वित्तीय संस्थान / बीमा पॉलिसी आदि में निवेश)

(2) यथा-आवश्यक बनावट, मॉडल (वाहन के मामले में पंजीकरण संख्या)

(3) अर्जन की विधि

(खरीद / उपहार / बंधक पट्टा या अन्यथा)

(4) सम्पत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय की स्थिति में स्रोत या वित्त पोषण का स्रोत

(क) व्यक्तिगत बचत

(ख) अन्य स्रोत

(6) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

(7) क्या संयुक्त रूप से है या अलग-अलग

(8) अन्य कोई संगतपूर्ण सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

ग. आश्रित बच्चों द्वारा धारित चल और अचल सम्पत्तियों से संबंधित सूचना

1. आश्रित बच्चे/बच्चों का नाम (ब्लॉक अक्षरों में)
2. पिता / पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्तमान पता

I. अचल संपत्ति का विवरण

(1) राज्य, जिला, उप-संभाग और गांव का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।

(2) संपत्ति का विवरण

(क) मकान और भवन और उनका वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि और उनका वर्तमान मूल्य

(3) मालिक हैं अथवा लाभार्थी

(4) क्या संयुक्त रूप से है या अलग-अलग है।

यदि संयुक्त रूप से है, तो उसमें दूसरे व्यक्ति का हिस्सा

(5) यदि बच्चे के नाम नहीं है, तो बतायें किसके नाम है और उसका बच्चे से क्या संबंध है।

(6) कैसे अर्जित किया

(खरीद से पट्टे पर, बंधक से, विरासत में, उपहार से अथवा अन्य विधि से अर्जन की तारीख और जिस व्यक्ति से अर्जित किया गया है उसका नाम)

(7) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

II. चल सम्पत्ति का विवरण

(1) संपत्ति का विवरण (जैसे कार / मोटरसाइकिल / आभूषण / बैंकों / शेयर बाजारों / कंपनियों / वित्तीय संस्थान/बीमा पॉलिसी आदि में निवेश)

(2) यथा-आवश्यक बनावट, मॉडल (वाहन के मामले में पंजीकरण संख्या)

(3) अर्जन की विधि

(खरीद / उपहार / बंधक पट्टा या अन्यथा)

(4) सम्पत्ति का क्रय मूल्य

(5) क्रय की स्थिति में स्रोत या वित्त पोषण का स्रोत

(क) व्यक्तिगत बचत

(ख) अन्य स्रोत

(6) अन्य कोई संगत सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

(7) क्या संयुक्त रूप से है या अलग-अलग

(8) अन्य कोई संगतपूर्ण सूचना, जिसका सदस्य उल्लेख करना चाहे

घोषणा

मैं, _____ एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है।

ऊपर दी गई सूचना में किसी परिवर्तन की स्थिति में, मैं उसकी सूचना देने का वचन देता/देती हूँ।

भवदीय,

दिनांक :

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

प्रपत्र - ख

[नियम 11 (2) देखें]

प्रथम नियुक्ति और पद त्याग के समय व्यावसायिक और वाणिज्यिक पेशों से संबंधित विवरण

| क्र.सं. | संबंध | नाम | घोषणा की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान धारित व्यावसायिक पद, यदि कोई हो | घोषणा की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान धारित वाणिज्यिक पद, यदि कोई हो |
|---------|--------------|-----|---|--|
| 1 | स्वयं | | | |
| 2 | पति या पत्नी | | | |
| 3 | आश्रित -1 | | | |
| 4 | आश्रित -2 | | | |
| 5. * | आश्रित -3 | | | |

* यदि आवश्यक हो, तो पंक्तियों को जोड़ें।

हस्ताक्षर.....

दिनांक :

[सं. वी.11012/13/2019-एमईपी(भाग -I)]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th September, 2019

G.S.R. 647(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (j) and (k) of sub-section (2) of section 56 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Medical Commission, Autonomous Boards (Manner of Appointment of Fourth Member and the Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements of President and Members) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019);

(b) “Commission” means the National Medical Commission constituted under section 3 of the Act;

(c) “section” means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of appointment of fourth Member of Autonomous Board.(1) The fourth Member of each Autonomous Board shall be appointed by the Central Government for a period of two years and shall cease to hold office after attaining the age of seventy years, whichever is earlier.

(2) The fourth Member of each Autonomous Board, being apart-time Member, to be appointed under sub-section (5) of section 17 shall be chosen by draw of lots from among the elected Members of State Medical Councils.

(3) The elected Members of State Medical Councils referred to in sub-rule (2) shall also be the Members of the Medical Advisory Council appointed under clause (e) of sub-section (2) of section 11:

Provided that for the purpose of ensuring representation of maximum States and Union Territories,—

(i) the Members of the Medical Advisory Council who are appointed as Members of the Commission under clause (c) of sub-section (4) of section 4; and

(ii) the nominees of the States and Union territories which are already represented in the Commission by the Members appointed under clause (b) of sub-section (4) of section 4, shall not be considered for the draw of lots under this rule.

(4) The draw of lots shall be conducted on such date as may be decided by the Central Government.

(5) The draw of lots shall be conducted with paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of elected Members of the State Medical Council referred to in sub-rule (3), which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(6) The draw of lots shall be conducted consecutively for choosing the fourth Member of each Autonomous Board from amongst the elected Members of State Medical Councils referred to in sub-rule (3) in the following manner, namely:—

(a) firstly, for the Under-Graduate Medical Education Board;

(b) secondly, for the Post-Graduate Medical Education Board;

(c) thirdly, for the Medical Assessment and Rating Board; and

(d) fourthly, for the Ethics and Medical Registration Board.

(7) The total number of paper slips shall correspond to the total number of elected Members of State Medical Councils referred to in sub-rule (3).

(8) During the draw of lots as mentioned in sub-rule (6), one paper slip shall be picked up during each of the draw of lots so as to choose the fourth Member of each Autonomous Board referred to therein.

(9) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Minister of Health and Family Welfare.

(10) The video recording of the entire process of draw of lots shall be made and all records relating to the draw of lots shall be kept for a period of six months on the website of the Ministry of Health and Family Welfare for public access.

(11) For the purposes of maintaining transparency during the process of draw of lots, media personnel shall be invited.

(12) Where the term of a fourth Member of any Autonomous Board chosen under this rule by draw of lots is reduced for any reason to less than two years, the Central Government shall appoint other nominee of the same State Medical Council for the remaining period on the basis of nomination by that State Medical Council.

(13) The draw of lots to choose the fourth Member of all the four Autonomous Boards from among the elected Members of State Medical Councils shall be conducted every consecutive two years.

4. Salaries and allowances payable to President and Members, including part-time Members, of Autonomous Boards.— (1) The salary of the President and whole-time Members of each Autonomous Board shall be equivalent to the salary of the Additional Secretary to the Government of India in Level-15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100/-):

Provided that where the President or a whole-time Member of an Autonomous Board is a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognised research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn.

(2) If the President or whole-time Member of an Autonomous Board is in service of the Central Government or a State Government, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him or sub-rule (1), whichever is higher.

5. Dearness allowance.— The President and whole-time Members of each Autonomous Board shall be entitled for dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of the equivalent level of the Central Government.

6. Travelling allowance.— (1) The President and every other Member of each Autonomous Board shall be entitled to draw travelling allowances and daily allowances at the rates appropriate to their pay admissible to officers of the equivalent level of the Central Government.

(2) The President and Member of the Autonomous Boards shall be their own controlling officer in respect of their bills relating to travelling allowances and daily allowances.

7. Leave.— The President and whole-time Members of the Autonomous Boards shall be entitled to —

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave as admissible to Central Government servants in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time; and

(b) extraordinary leave as admissible to the temporary Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

8. Leave sanctioning authority.— (1) The Chairperson of the Commission shall be the authority competent to sanction leave to the Presidents of the Autonomous Boards.

(2) The President of the respective Autonomous Board shall be the authority to sanction leave to every other whole-time Member of that Board.

9. Contributory Provident Fund.— (1) The President and whole-time Members of the Autonomous Boards shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available.

(2) The President and whole-time Members of the Autonomous Boards shall not be entitled to additional pension and gratuity for the service rendered by them in an Autonomous Board.

10. Sitting fee.— The part-time Members of every Autonomous Board shall be entitled to a sitting fee of five thousand rupees for each day of sitting of the Autonomous Board.

11. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by President and Members of Autonomous Boards.—(1) The President and every Member of every Autonomous Board shall file return of assets and liabilities in the Form A of the Schedule annexed to these rules.

(2) The President and every Member of each Autonomous Board shall also declare their professional and commercial engagement or involvement on their first appointment and at the time of demitting office in Form B of the said Schedule.

SCHEDULE

Form A

[See rule 11(1)]

DECLARATION OF ASSETS AND LIABILITIES

A. ASSETS AND LIABILITIES OF PRESIDENT/MEMBER OF AUTONOMOUS BOARD

1. Name (*in block letters*)
2. Father's/Husband's name
3. Permanent address
4. Present address
5. Date of appointment/nomination
- I. Details of immovable property
 - (1) Name of the State, District, Sub-division and village in which property is situated.
 - (2) Details of property
 - (a) House and buildings and their present value
 - (b) Lands and their present value
 - (3) Whether held as owner or beneficiary
 - (4) Whether held jointly or severally. If property held jointly with another person share of property held
 - (5) If not held in Member's own name, state in whose name held and his/her relationship with the Member
 - (6) How acquired
(*whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired*)
 - (7) Any other relevant information which the Member may like to mention

II. Details of movable property

- (1) Description of the property (*i.e.*
*car/motorcycle/jewellery/
investments in banks/stock
markets/companies/financial
institutions/insurance policies, etc.*)
- (2) Make, model (and also registration No.
in case of vehicles) where necessary
- (3) Mode of acquisition
(*purchase/gift/mortgage lease or otherwise*)
- (4) Purchase price of the property
- (5) In case of purchase, source or sources
from which financed
 - (a) Personal savings
 - (b) Other sources
- (6) Any other relevant information which
the member may like to furnish

III. Details of Liabilities of the Member to public Financial Institutions/Central Government and State Government

- (1) Details of loans raised from Banks/
Companies/Financial Institutions/Central/
State Governments
- (2) Amount of loans raised in each case
- (3) The period for which these loans were
raised in each case.

B. INFORMATION REGARDING IMMOVABLE AND MOVABLE PROPERTIES HELD BY SPOUSE

1. Name of the spouse
(*in block letters*)
2. Father's/Husband's name
3. Permanent Address
4. Present Address

I. Details of immovable property

- (1) Name of State, District, Sub-division and
village in which property is situated
- (2) Details of property
 - (a) House and buildings and
their present value
 - (b) Lands and their present value
- (3) Whether held as owner or beneficiary
- (4) Whether held jointly or severally.

If property held jointly with Member, share of property held

- (5) If not held in spouse's own name, State in whose name held and his/her relationship with the spouse
- (6) How acquired
(whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired).
- (7) Any other relevant information which the member may like to mention

II. Details of movable property

- (1) Description of the property
(i.e. car/motorcycle/jewellery/investments in banks/stock markets/companies/financial institutions/insurance policies, etc.)
- (2) Make, model (and also registration number in case of vehicles) where necessary
- (3) Mode of acquisition
(purchase/gift/mortgage lease or otherwise)
- (4) Purchase price of the property
- (5) In case of purchase, source or sources or sources from which financed
 - (a) Personal savings
 - (b) Other sources
- (6) Whether held as owner or beneficiary
- (7) Whether held jointly or severally
- (8) Any other relevant information which the Member may like to furnish

C. INFORMATION REGARDING IMMOVABLE AND MOVABLE PROPERTIES HELD BY DEPENDENT CHILDREN

1. Name of the dependent children
(in block letters)
2. Father's/Husband's name
3. Permanent Address
4. Present Address

I. Details of immovable property

- (1) Name of State, District, Sub-division and village in which property situated
- (2) Details of property
 - (a) House and buildings and their present value
 - (b) Lands and their present value

- (3) Whether held as owner or beneficiary
- (4) Whether held jointly or severally. If property held jointly with Member, share of property held
- (5) If not held in the child's own name, state in whose name held and his/her relationship with the child
- (6) How acquired
(whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name of person from whom acquired)
- (7) Any other relevant information which the Member may like to mention

II. Details of movable property

- (1) Description of property
(i.e. car/motorcycle/jewellery/ investments in banks/stock markets/ companies/financial institutions/ insurance policies, etc.)
- (2) Make, model(and also registration number in case of vehicles) where necessary
- (3) Mode of acquisition
(purchase/gift/mortgage/lease or otherwise)
- (4) Purchase price of the property
- (5) In case of purchase, source or sources from which financed
 - (a) Personal savings
 - (b) Other sources
- (6) Whether held as owner or beneficiary
- (7) Whether held jointly or severally
- (8) Any other relevant information which the member may like to furnish

DECLARATION

I, _____ hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

In the event of any change in the information given above, I undertake to intimate the same.

Yours faithfully,

Date:

Signature/thumb impression

Form B

[See rule11(2)]

Statement of professional and commercial engagements or involvement
on first appointment and at the time of demitting office

| Sl.No. | Relation | Name | Professional position held in last three years from the date of declarations, if any | Commercial engagements /involvement held in last three years from the date of declarations, if any |
|--------|-------------|------|--|--|
| 1 | Self | | | |
| 2 | Spouse | | | |
| 3 | Dependent-1 | | | |
| 4 | Dependent-2 | | | |
| 5.* | Dependent-3 | | | |

* Add more rows, if necessary.

Date.....Signature.....

Date:

[No. V.11012/13/2019-MEP(Pt.D)]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.